C.N.R.-UPMH040129532022

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–2548/2022,
रामप्रवेश———बनाम———जोखन आदि
धारा–156(3) दं0प्र0सं0, थाना–सिन्दुरिया, जनपद–महराजगंज।

03.01.2024

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 में जिस प्रकार के घटना का वृतान्त दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि आवेदक को घटना की तिथि, घटना का समय, घटना स्थल, अभियुक्तगण के नाम, साक्षीगण के नाम इत्यादि सभी तथ्यों की जानकारी है तथा विवेचना से किसी नये तथ्य की खोज नहीं किया जाना है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर इस स्तर पर यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सम्मानित विधि व्यवस्था **नरसिंह उर्फ नरसिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017(3) ए0सी0आर0 3179 इलाहाबाद, उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच)** जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रतिपादित सम्मानित विधि व्यवस्था पर आधारित है, में यह विनिश्चयन किया गया है कि मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 को प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध अंकित होने के उपरान्त भी न्यायालय को उसे परिवाद के रूप में दर्ज करने की शक्ति प्राप्त है।

आदेश

प्रार्थी/आवेदक का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 दिनांक–29.02.2024 को पेश हो।

(आस्था श्रीवास्तव)
सिविल जज, प्रवर खण्ड/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
महराजगंज।